भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1852

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं

1852. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि देश भर में, विशेषकर राजस्थान में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप कार्यात्मक शौचालय, हाथ धोने की सुविधाएं और पानी उपलब्ध हों;

(ख) आंगनवाड़ी केंद्रों में जल और स्वच्छता के लिए निगरानी कार्यक्रम क्या है और विशेषकर स्वच्छता कवरेज के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी सहायता को सुदृढ़ करने में स्वस्थ भारत प्रेरक (एसबीपी) कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र और इसका प्रभाव क्या है;

(घ) क्या इस पहल ने राष्ट्रीय पोषण मिशन के कार्यान्वयन में योगदान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विशेषकर राजस्थान में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु योजनाओं के कार्यान्वयन और इन पहलों के लिए निधियों के आवंटन और उपयोग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(**क) और (ख) :** मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने तथा शौचालय निर्माण के लिए निधियों का प्रावधान है। इस मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की लागत को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और शौचालय निर्माण की लागत को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये कर दिया है जो राजस्थान राज्य के लिए

भी लागू है। नवंबर 2024 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान 48446 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा है, 31616 आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यशील शौचालय हैं और 47378 आंगनवाड़ी केंद्रों में हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है।

पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को 1 मार्च, 2021 को एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में शुरू किया गया था। यह आंगनवाड़ी केंद्रों में पीने के पानी, शौचालय की सुविधा और हाथ धोने के लिए साबुन की उपलब्धता की निगरानी सहित परिभाषित संकेतकों पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की निगरानी तथा ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा, वार्षिक जन आंदोलन अर्थात पोषण माह और पोषण पखवाड़ा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर वाश(डब्ल्यूएएसएच) सहित विभिन्न विषयों के माध्यम से बेहतर पोषण तथा सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं।

इन वार्षिक संवेदीकरण अभियानों को अब तक 13 जन आन्दोलनों (7 पोषण माह और 6 पोषण पखवाड़ा) के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक कार्यकलापों के साथ संस्थागत रूप दिया गया है जिसमें वाश(डब्ल्यूएएसएच) और डायरिया प्रबंधन पर लगभग 4 करोड़ केंद्रित कार्यकलाप शामिल हैं।

(ग) और (घ) : पोषण अभियान 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया था। विभिन्न स्तरों पर अभियान को समर्थन देने के लिए विकास साझेदार द्वारा बाह्य सहायता से स्वस्थ भारत प्रेरक (एसबीपी) कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिला एवं राज्य प्रशासन को प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करना था।

एसबीपी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्प्रेरक के रूप में काम करते हुए अभियान के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन के लिए डीएम/डीसी और प्रमुख अधिकारियों की सहायता करते हुए जिला स्तर पर एक कुशल संसाधन (प्रेरक) प्रदान करना था ।

वर्ष 2021 में, 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए पोषण अभियान (पीए), आंगनवाड़ी सेवाओं (एडब्ल्यूएस) और किशोरियों के लिए योजना (एसएजी) को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया और एसबीपी जैसे कार्यक्रम बंद कर दिए गए।

(ङ.): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, 15वें वित्त चक्र में 11665 आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान राज्य को 1061.07 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का चरण-II 2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) को बनाए रखना है। पिछले **3** वर्षों और वर्तमान वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के तहत राजस्थान को आवंटित और उपयोग किया गया केंद्रीय अंश निम्नानुसार है:-

वर्ष	**आवंटन (करोड़ रुपये में)**	**उपयोग की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
2021-22	551.85	243.32
2022-23	624.90	316.25
2023-24	153.00	132.21
2024-25 (03.12.2024 तक)	230.00	40.41

****